


(17)



**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर**


प्रकरण क्रमांक

निगरानी/2014 पन्ना P 2411- III/14

मोहन लाल पटेल पुत्र महादेव पटेल,  
निवासी-ग्राम/पोस्ट इटवाखास, मजरा-किरहा,  
थाना-बुजपुर, तहसील/जिला-पन्ना

..... आवेदक/निगरानीकर्ता  
बनाम

श्री कुन्दीदेवी कुशवाह, अफिस  
द्वारा आज दि 14-8-14 को  
प्रस्तुत

  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. गुन्डीदेवी पत्नी रामकुमार सोनी, निवासी-  
किशोरगंज, पन्ना
2. मथुरादेवी पत्नी सरदार सिंह यादव, निवासी-  
टिकुरिया मोहल्ला, तहसील/जिला पन्ना
3. म०प्र० शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म०प्र० नू राजस्व संहिता 1959  
के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश तहसीलदार पन्ना के प्र. क्र.  
68/अ-12/2013-14 गुन्डीदेवी बनाम शासन आदेश दिनांक  
30.06.14 को पारित।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग.-2411-तीन/2014

जिला-पन्ना

मोहन लाल पटेल विरुद्ध गुन्नीदेवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री कुवंर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक क्र. 1 की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार पन्ना, जिला- पन्ना के प्रकरण क्रमांक 68/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी पन्ना जिला- पन्ना के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जे.ने.) सदस्य</p>